सेवा में ,

(37)

01 OCT 2013
1684/81

श्री मान् जन सूचना अधिकारी/ सचिव गृह मंत्रालय

भारत सरकार , नई दिल्ली ।

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने

हेतु :-

(1) प्रश्न:- क्या आपके मंत्रालय द्वारा ग्राम रसूलपुर रोहटा तह0 व जिला मेरठ में स्थित भूमि खसरा संख्या- 45, खसरा संख्या- 554अ,ब 556ब, व खसरा संख्या- 557 व , 554ब क्या विवादित जमीन है ,और मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, के सम्बन्ध में एक जन साधारण सूचना आपके विभाग में कार्यरत प्रभारी निरीक्षक अधिकारी नरेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. सूरजबल शर्मा के माध्यम से प्रकाशित कराई है , जिसमें नरेश चन्द्र शर्मा ने इस सूचना को प्रकाशित कर यह भ्रान्ति पैदा की है कि जैसे गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश से यह सूचना प्रकाशित की गयी है । इसका विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जावें ।

(2) यदि आपके मन्त्रालय द्वारा नरेश चन्द्र शर्मा को इस जन सूचना को प्रकाशित करने के लिये अधिकृत नहीं किया तो उन्होनें गृह मन्त्रालय भारत सरकार ,आज्ञा से , सूचना प्रकाशित कर अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रान्ति जन साधारण के लिये क्यों उत्पन्न की है , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा से स्पष्टीकरण लिया जावें , तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावें । जिसके सम्बन्ध में जबाव द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जावें ।

Ruby Sharma

...ओं अभिलेखों को शामिल किया जाता है।
...विवादित है तथा कोर्ट के विचाराधीन है।
...कोर्ट का फैसला नहीं आता कोई भी व्यक्ति
...से खरीदने की बेचा ना करें। आज्ञा की
...र्तों पर व्यक्ति विशेष खुद जिम्मेदार होगा।

प्रार्थी

...नरेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री सूरजबल शर्मा
...निरीक्षक अधिकारी, गृह मंत्रालय भारत सरकार

10

<u>आर.टी.आई</u>

सं. I-11034/50/2013-एन.एम./एएनओ-I
भारत सरकार,
गृह मन्त्रालय,
नक्सल प्रबंधन विभाग (नक्सल विरोधी अभियान स्कंध)

कमरा सं. 13-ए, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, दिनांक 27.12.2013

सेवा में,

सुश्री / श्रीमती रुबी शर्मा,
ग्राम - रसूलपुर रोहटा,
पर0 तह0 व जिला - मेरठ
उत्तर प्रदेश

संदर्भ इस मंत्रालय का संवाद सं. ए.42012/81/2013-एडी.II दिनांक 03.12.2013 है जिसके माध्यम से आपका आवेदन दिनांक 27.09.2013 इस स्कंध को दिनांक 06.12.2013 को अंतरित किया गया है।

2. यह सूचित किया जाता हे कि नरेश चंद्र शर्मा नाम के कोई व्यक्ति इस स्कंध में कार्यरत नहीं हैं। अतः इस स्कंध की सूचना शून्य मानी जाए।

3. उक्त आवेदन से संबंधित पुनरावेदन (Appeal), यदि आवश्यक हो तो इस आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्तर्गत श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव (नक्सल विभाग), कमरा सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को किया जा सकता है।

PB No-7/AN0-1/13
Dt.-27/12/13

दलजीत सिंह

(दलजीत सिंह चौधरी)
निदेशक (एएनओ-I) & सीपीआईओ
टेली.फैक्स: 2309 4019

ok